न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 38/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

ओमप्रकाश पुत्र श्री मौहकमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बरकौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 24.5.1986 नामान्तर–करण संख्या 182 ग्राम बरकौली तह0 रूपवास वसिलसिले विरासतन

उपस्थित :

1. श्री जयनारायण व्यास वकील अपीलान्ट।
2. पैरोकार सरकार।

दिनांक : 9.11.2017

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 24.5.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश से मौहकम फौती का विरासतन दाखिल खारिज उसके वारिस के नाम दिनांक 24.5.1986 को स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नियमानुसार उभयपक्षकारान को तलब किया जाकर तहत पत्रावली/रिकार्ड तलब किया गया। बाद कार्यवाही नियत

दिनांक को उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील उभयपक्षों की बहस तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। उनका कहना है कि आराजी खसरा नम्बर 270/1, 372/1, 482/2 वाकै ग्राम बरकौली पटवार हल्का खरेरा तहसील रूपवास में अपीलार्थी के पिता मौहकम के नाम दर्ज थी जो खाता संख्या 43 पुरानी पर दर्ज है। यह कि अपीलार्थी के पिता के फौत होने पर विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 24.5.1986 तहत अदालत द्वारा स्वीकृत किया गया जिससे उक्त जायदाद अपीलार्थी को मिली थी। इस नामान्तरकरण पर अपीलार्थी का नाम प्रकाश पुत्र मौहकमसिंह दर्ज कर दिया है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र मौहकमसिंह है। इसके अलावा अपीलान्ट के समस्त रिकार्ड अर्थात परिचय–पत्र, सैकेण्डरी अंकतालिका, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि पर अपीलान्ट का नाम ओमप्रकाश ही है जो उसका वास्तविक नाम है। किन्तु ये समझ से बाहर है कि तहत अदालत ने इस अपीलाधीन नामान्तरकरण पर अपीलान्ट का नाम ओमप्रकाश की जगह प्रकाश क्यों कर दिया गया। यह त्रृटी न्यायिक दृष्टिकोण से दुरूस्त योग्य है। तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश कार्यवाही सहवन से की गई है जो दुरूस्त योग्य है। अपीलान्ट का देरी से अपील पेश करने के संबध में यह कहना है कि इस गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलान्ट को जब हुई तो इस बाबत उपखण्डाधिकारी के समक्ष प्रकरण पेश किया गया किन्तु उनके द्वारा क्षेत्राधिकार न होने के कारण दिनांक 29.5.2017 को खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात जानकारी प्राप्त कर यह अपील बिना किसी देरी के न्यायालय हाजा में पेश की गई है अपील पेश करने में अपीलान्ट द्वारा कसदन देरी नहीं की गई है बल्कि जानकारी के अभाव में देरी हुई है जो क्षमा योग्य है। जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया है। इस संबध में आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

'' Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित रहता है अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट ने कोई हक हकूकी का बिन्दु न उठाया जाकर केवल अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित किये गये अपने नाम को दुरूस्त किये जाने का बिन्दु उठाया है। चूंकि अपीलान्ट का कहना है कि वास्तव में उसका नाम प्रकाश न होकर ओमप्रकाश है। मौहकमसिंह उसके मृतक पिता है। जिसकी पुनः जांच कराया जाना हमारे ख्याल से न्यायसंगत रहता है। अपीलान्ट के वास्तविक नाम की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना प्रतीत हो रहा है जो न्याय संगत नही रहता है। यह माना कि नामान्तरकरण एक सरसरी प्रकिया है। फिर भी राजस्व रिकार्ड में आगामी इन्द्राज किये जाने मे यह अहम भूमिका निभाता है। इसलिऐ दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति तहत अदालत के लिये विधिवत जांच बेहद आवश्यक हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण पुनः वारिसान के संदर्भ में विधिवत जांच करने एवं तदनुसार अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 23.6.1993 निरस्त किया जाता है। यह प्रकरण तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के लिये इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक मौहकमसिंह के विधिक वारिसान व उनके सही नाम की जांच करें तदोपरान्त इस विरासतन नामान्तरकरण के संबध में पुनः न्यायसंगत आदेश पारित करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 9.11.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर